16/2/26

पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। मूल वाद-पत्र अदम पैरवी में 09R5 के तहत खारिज किया जा चुका है। प्रा० पत्र 212सी का चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 212सी भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।